

झारखण्ड सरकार  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

सचिका संख्या-04/आ0-03-1026/2015-43 / राँची, दिनांक- 1/2/18

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पूर्व, राँची अंतर्गत चान्हो प्रखण्ड में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कराये गये शौचालय निर्माण में सरकारी पदाधिकारियों, विभागीय अभियन्ताओं एवं संस्थाओं से मिलीभगत कर बिना शौचालय निर्माण के फर्जी विपत्र बनाकर सरकारी पैसे के गबन संबंधी परिवाद पत्र लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद पत्र पर जाँचोपरांत माननीय लोकायुक्त झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक-21.10.2013 को आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चान्हो को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतने एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग करने का दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा विभाग से की गयी है।

2. उक्त के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों के विरुद्ध प्रपत्र-क गठित कर श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1324 दिनांक-20.03.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया एवं श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोप प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात् पुरे मामले पर विचारोपरांत माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश एवं प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है।

3. तदपश्चात् उक्त लिए गए निर्णय के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध आदेश संख्या-195 सह पठित झापांक-2531 दिनांक-31.05.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर पत्रांक-01/2017 दिनांक-01.01.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों में से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के क्रियान्वयन में प्रचार प्रसार एवं नियमित अनुश्रवण में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया।


5. उक्त प्रमाणित आरोपों के विरुद्ध श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-85 दिनांक-05.01.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक-शून्य दिनांक-12.01.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री सिंह

द्वारा उक्त प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के विरुद्ध कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, तदपश्चात् पूरे मामले के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध उक्त प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये एवं तदनुसार श्री सिंह को "चेतावनी" देते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

6. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

- i. श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चान्हों सम्प्रति सहायक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, सरायकेला खरसावा को "चेतावनी" दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि श्री सिंह के चरित्र पुस्त में की जाय।
- ii. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चान्हों सम्प्रति सहायक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, सरायकेला खरसावाँ एवं अन्य संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

  
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)  
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक-

588

राँची,दिनांक-

11/2/18

प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख /सभी संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं 04 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

  
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)  
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक-


588

राँची,दिनांक-

11/2/18

प्रतिलिपि- श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)  
सरकार के उप सचिव।

  
01/02/18

ज्ञापांक- 588

राँची,दिनांक- 1/2/18

प्रतिलिपि- श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चान्हों सम्प्रति सहायक अभियन्ता (प्रभारी), पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, सरायकैला खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-


588

राँची,दिनांक- 1/2/18

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, (IT) PMU पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के उप सचिव।

  
01/02/18